[2021] 1 एस. सी. आर 989

कीर्ति और अन्य आदि

बनाम

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(सिविल अपील सं 19-20/2021)

05 जनवरी, 2021

[एन. वी. रमना, एस. अब्दुल नजीर और सूर्या कान्त, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: दुर्घटना के समय ही दावे और कानूनी देनदारियां स्पष्ट हो जाती हैं- इसके बाद होने वाले किसी भी बदलाव से सामान्य रूप से लंबित कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए-जिस तरह दावेदार न्यूनतम मजदूरी में बाद की वृद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसी तरह बीमाकर्ता भी कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी आश्रित की बाद में हुई मृत्यु का लाभ नहीं ले सकता है-इसी तरह, किसी भी वकील द्वारा इस संबंध में दी गई कोई भी कानूनी रियायत पक्षों को बाध्य नहीं करेगी।

कानून में रियायतः अनुमतिता, सीमा-अभिनिर्धारित: अधिवक्ता कानूनी अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं या इसके विपरीत व्यवस्था नहीं कर सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 मोटर वाहन अधिनियम, 1988: साक्ष्य के अभाव में आय का आकलन-अभिनिर्धारित: तत्काल मामले में, हालांकि यह सही है कि दावेदार पीड़ित पति की आय का प्रमाण देने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ थे, न ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में उनकी नौकरी स्थापित की; लेकिन यह उनकी आय की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाने को उचित नहीं ठहराएगा-गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य-ऑन-रिकॉर्ड और दुर्घटना की परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है कि पीड़ित तुलनात्मक रूप से अधिक शैक्षिक रूप से योग्य और कुशल था-इसके अलावा, उसने अपने परिवार के लिए उचित जीवन स्तर बनाए रखा, जैसा कि आने-जाने के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग से पता चलता है-मृतक के परिवार के जीवन स्तर को बनाए रखना मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति कानून का एक मौलिक प्रयास है-इस प्रकार, उसके मामले में लागू कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 6197 रुपये है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988: भविष्य की संभावनाएँ-यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त होना चाहिए।

मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी 25 प्रतिशत की वृद्धि जहाँ मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 % जहाँ मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। गणना की आवश्यक विधि मानी जानी चाहिए स्थापित आय का अर्थ है आय घटाकर कर घटक अनुमानित आय के साथ, कानून में गलत और योग्यता के बिना दोनों है मजदूरी में निरंतर मुद्रास्फीति-प्रेरित वृद्धि पर विचार करते हुए।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: के लिए अनुमानित आय की गणना गृहिणियों और उनके संबंध में भविष्य की संभावनाओं का अनुदान, क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए– निर्धारित करने वाले कारकों पर चर्चा की गई। (एन. वी. रमन्ना के अनुसार, जे–पूरक) आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:

न्यायमूर्ति, सूर्या कान्ट

1. यह विवादित नहीं हो सकता है कि मृत्यु के समय, वहाँ वास्तव में मृतक के चार आश्रित थे, तीन नहीं। मृतक की आश्रित माँ की बाद में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में कमी का एक कारण होना।दुर्घटना के समय दावे और कानूनी देनदारियां स्पष्ट हो जाती हैं स्वयं, और उसके बाद के परिवर्तनों को सामान्य रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए लंबित कार्यवाही। जैसे अपीलार्थी–दावेदार ऐसा नहीं कर सकते। न्यूनतम मजदूरी में बाद की वृद्धि पर भरोसा करते हुए, उत्तरदाता–बीमाकर्ता भी बाद के लाभ की मांग नहीं कर सकता है।

कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आश्रित की मृत्यु। इसी तरह, इस संबंध में कानून में कोई भी रियायत दोनों में से किसी एक द्वारा दी गई है। वकील पक्षों को बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि यह कानूनी रूप से तय किया गया है कि अधिवक्ता कानूनी अधिकारों को खारिज नहीं कर सकते हैं या हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

कानून के विपरीत व्यवस्थाएँ। [पैरा 10] [998–जी; 999–ए–बी]

2.1 न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी मुआवजा न्यायसंगत होना चाहिए, उचित और परिणामस्वरूप निस्संदेह द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए निष्पक्षता, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत। न केवल किया मृतक के परिवार में सेप्टुआजेनेरियन माता–पिता शामिल हैं, लेकिन दो छोटी बच्चियाँ भी थीं–लड़कियाँ, जिनकी उम्र केवल 3 और 4 साल थी।

जिनमें से प्रत्येक को असाधारण देखभाल और खर्च की आवश्यकता होती है जब तक कि वे

आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुँचें। दुखद रूप से, कीर्ति और ए. एन. आर के अलावा।

विवाहित दंपति, चालक की लापरवाही ने परिवार के तीसरे बच्चे का जीवन भी बुझा दिया जो दुर्घटना के समय पीड़ित महिला के गर्भ में भ्रूण था। इस प्रकार, दोनों पीड़ितों (दंपति) के लिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए उचित कटौती केवल 1/4 वां होना चाहिए, न कि 1/3 वां, जैसा कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था, अधिक तब जब परिवार के चार सदस्य इस पर निर्भर थे

मृतक। [पैरा 11] [999–सी–ई]

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक v. प्रमोद कुमार साहू (2019) 10 एस. सी. सी. 674 हेलेन सी. रिबेलो बनाम।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, (1999) 1 एस. सी. सी. 90 –

2.2 दूसरा, हालांकि यह सही है कि दावेदार पीड़ित का सबूत देने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे हैं

पति की आय, और न ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में उसकी नौकरी स्थापित की है; लेकिन यह उसकी आय की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाने को उचित नहीं ठहराता है। गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य–ऑन–रिकॉर्ड और दुर्घटना की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि पीड़ित तुलनात्मक रूप से अधिक शैक्षिक रूप से योग्य और कुशल था। इसके अलावा, उन्होंने एक उनके परिवार के लिए उचित जीवन स्तर, जैसा कि उनके आने–जाने के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग से पता चलता है। मृतक के परिवार के जीवन स्तर को बनाए रखना मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति कानून का एक मौलिक प्रयास है। इस प्रकार, हरियाणा राज्य में अप्रैल 2014 के दौरान कुशल श्रमिकों के लिए कम से कम 6197 रुपये का न्यूनतम वेतन उनके मामले में लागू किया जाना चाहिए। [पैरा 12] [999–ई–जी; 1000–ए]

आर के मलिक बनाम। किरण पाल (2019) 14 एससीसी 1–पर निर्भर

2.3 तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य की संभावनाओं के अनुदान को चुनौती देना प्रतिवादी–बीमाकर्ता की ओर से अनुचित है

उच्च न्यायालय के समक्ष उनके इस निवेदन पर विचार करते हुए कि इस तरह के मुआवजे का भुगतान प्रणय सेठी संदर्भ के परिणाम के लंबित रहने तक नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, इस बिंदु पर कानून अब एकीकृत नहीं है, और स्पष्ट रूप से बना हुआ है, क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मृतक स्व–नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। एक जोड़

25 प्रतिशत में से जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी [2021] 1 एस. सी. आर.

वर्ष और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, उसे आवश्यक विधि माना जाना चाहिए।

गणना। स्थापित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना। [पैरा 13] [1000–बी–डी]

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. प्रणय सेठी (2017) 16

एस. सी. सी. 680 का अनुसरण किया गया

3. यह देखते हुए कि कैसे दोनों मृतक 40 वर्ष से कम उम्र के थे और कैसे

उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में स्थापित नहीं किया गया है, भविष्य की 40 प्रतिशत संभावनाओं का भुगतान किया जाना चाहिए। यह तर्क कि अनुमानित आय वाले लोगों के लिए भविष्य में ऐसी किसी भी संभावना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मजदूरी में निरंतर मुद्रास्फीति–प्रेरित वृद्धि को देखते हुए कानून में गलत और योग्यता के बिना दोनों है। यह हेम राज बनाम में आयोजित किया गया

था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा कि जहां आय का सकारात्मक प्रमाण है और जहां न्यूनतम आय किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमान पर निर्धारित की जाती है, वहां अंतर नहीं किया जा सकता है। दोनों स्थितियाँ एक ही पायदान पर खड़ी हैं। तदनुसार, वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित आय में 40 प्रतिशत का जोड़ किया जाना आवश्यक है।

सुनीता टोकस बनाम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1045; हेम राज बनाम। ओरिएंटल बीमा कंपनी।

लिमिटेड (2018) 15 एस. सी. सी. 654–पर निर्भर

एन. वी. रमना, जे. (पूरक):

1. स्थितियों की दो अलग–अलग श्रेणियां हैं जिनमें न्यायालय आमतौर पर पीड़ित की काल्पनिक आय निर्धारित करता है। द. मामलों की पहली श्रेणी उन मामलों से संबंधित है जिनमें पीड़ित था। नौकरी में हैं, लेकिन दावेदार अदालत के समक्ष अपनी वास्तविक आय साबित करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर पीड़ित की आय का "अनुमान" लगाता है, जैसे कि पीड़ित और उसके परिवार द्वारा जीवन की गुणवत्ता, उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की सामान्य कमाई,

पीड़ित की योग्यताएँ, और अन्य विचार। मामलों की दूसरी श्रेणी उन स्थितियों से संबंधित है जिनमें न्यायालय एक गैर–कमाने वाले पीड़ित की आय निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि एक बच्चा, एक छात्र या एक गृहिणी। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे मामलों में मुआवजे की मात्रा निर्धारित करना बेहद मुश्किल है। [पारस 2,3] [1002–बी–डी] कीर्ति और अन्य 2. न्यायालय अक्सर विभिन्न सिद्धांतों का पालन करता है

एक गैर–कमाने वाले पीड़ित के प्रति मुआवजे का निर्धारण करना ताकि एक ऐसी राशि पर पहुंचा जा सके जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत हो। इनमें से कुछ शामिल हैं –

अनुमानित आय का निर्धारण। गैर–कमाने वाले पीड़ितों की एक श्रेणी जिसे अदालतों को अक्सर गणना करने के लिए बुलाया जाता है

गृहिणियों के लिए मुआवजा। एक गृहिणी अक्सर पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करती है, किराने का सामान और अन्य घरेलू खरीदारी की जरूरतों का प्रबंधन करती है, घर की सफाई और प्रबंधन करती है।

घर और उसके आसपास, सजावट, मरम्मत और रखरखाव का काम करता है, बच्चों और घर के किसी भी वृद्ध सदस्य की जरूरतों की देखभाल करता है, बजट का प्रबंधन करता है और बहुत कुछ। ग्रामीण घरों में, वे अक्सर मवेशियों की देखभाल के अलावा खेत में बुवाई, कटाई और प्रत्यारोपण गतिविधियों में भी सहायता करते हैं। हालांकि, उपरोक्त सभी के बावजूद, यह धारणा कि घर बनाने वाले "काम" नहीं करते हैं या वे घर के लिए आर्थिक मूल्य नहीं जोड़ते हैं, एक समस्याग्रस्त विचार है जो घर के लिए महत्वपूर्ण है। यह कई वर्षों तक बना रहा और इसे दूर किया जाना चाहिए। [पैरा 4,5,10] [1002–डी–ई, एफ; 1005–डी–एफ]

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को मापने और उनकी मात्रा निर्धारित करने पर सामान्य अनुशंसा संख्या 17 को अपनाया गया। 1991 में महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियाँ और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनकी मान्यता। द जनरल

अनुशंसा ने पुष्टि की कि "महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों का मापन और परिमाणीकरण, जो प्रत्येक देश में विकास में योगदान करते हैं, महिलाओं की वास्तविक आर्थिक भूमिका को प्रकट करने में मदद करेगा"। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त सामान्य अनुशंसा सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 को आगे बढ़ाते हुए पारित की गई है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जो रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित है,

एक संधि जिसकी भारत ने पुष्टि की है। [पारस 13,14] [1006–एफ–जी; 1007–ए]

4. इसलिए, एक गृहिणी के लिए अनुमानित आय निर्धारित करने का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। यह एक

इसमें लगी महिलाओं की भीड़ को मान्यता गतिविधि, चाहे पसंद से हो या सामाजिक/सांस्कृतिक मानदंडों के परिणामस्वरूप।

यह बड़े पैमाने पर समाज को संकेत देता है कि कानून और न्यायालय

सभी व्यक्तियों के लिए जीवन की गरिमा। इस सवाल पर लौटते हुए कि एक गृहिणी की ऐसी काल्पनिक आय की गणना कैसे की जानी चाहिए, कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। यह समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में अदालत का प्रयास एक गृहिणी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए एक अनुमानित आर्थिक मूल्य तय करना है, जो असंभव है। वह कार्य हो सकता है। अदालतों को तथ्यों को देखते हुए ऐसे मामलों में न्यायसंगत मुआवजा देने के विचार को ध्यान में रखना चाहिए और

परिस्थितियाँ। [पैरा 15,16] [1007–बी–ई]

आर. के. मलिक बनाम किरण पाल (2009) 14 एससीसी 1; एम. आर. कृष्ण मूर्ति बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325; लता वाधवा बनाम। बिहार राज्य (2001) 8 एससीसी 197: [2001] 1 पूरक। एससीआर 578; अरुण कुमार अग्रवाल बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2010) 9 एस. सी. सी. 218: [2010] 9 एस. सी. आर. 303; राजेन्द्र सिंह बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी

521 ; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम नाबालिग दीपिका प्रतिनिधि।

(2009) 6 एससीसी 121: [2009] 5 एससीआर 1098–पर भरोसा किया गया।
5. भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने के पीछे का तर्क है

इसलिए अब केवल पेशे के प्रकार के बारे में नहीं, चाहे वह स्थायी हो या अन्यथा, हालांकि सम्मानित प्रतिशत अभी भी उसी पर निर्भर है। भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करना अब

न्यायालय के कर्तव्य का एक हिस्सा है कि वह जीवन की वास्तविकताओं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति, कीर्ति और ए. एन. आर. की खोज को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा प्रदान करे।

व्यक्तियों की अपनी और अपने प्रियजनों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ती मजदूरी दर और काम की गुणवत्ता पर अनुभव का प्रभाव। [पैरा 23] [1010–एच; 1011–ए–बी]

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680: [2017] 13 एससीआर 100

– पीछा किया।

6. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुमानित आय के संबंध में स्थिति काफी स्पष्ट है।

पहले उल्लिखित मामलों की पहली श्रेणी में, जहां पीड़ित नियोजित साबित होता है, लेकिन दावेदार न्यायालय के समक्ष आय साबित करने में असमर्थ होते हैं। एक बार जब पीड़ित किसी उद्यम में कार्यरत साबित हो जाता है, तो आवश्यक परिणाम यह होता है कि वे आय अर्जित कर रहे होंगे। यह स्पष्ट है कि भविष्य की संभावनाओं को देने के संबंध में कोई तर्कसंगत अंतर केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि उनकी आय साबित नहीं हुई थी, विशेष रूप से जब न्यायालय ने उनकी काल्पनिक आय निर्धारित की हो। जब गैर–कमाने वाले पीड़ितों के लिए काल्पनिक आय से संबंधित मामलों की दूसरी श्रेणी की बात आती है, तो उपरोक्त सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, विशेष रूप से गृहिणियों के संबंध में। एक बार काल्पनिक आय निर्धारित हो जाने के बाद, मुद्रास्फीति के प्रभाव समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा, कोई भी कभी यह नहीं कहेगा कि अनुभव के साथ आने वाले कौशल में सुधार घर के भीतर काम के क्षेत्र में नहीं होता है। [पारस 24, 25] [1011–बी–ई]

हेम राज बनाम। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2018) 15 एस. सी. सी. 654; सुनीता टोकस बनाम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड (2019) 20 एस. सी. सी. 688 पर निर्भर था।

	मामला कानून संदर्भ	
(2019) 10 एस. सी. सी. 674	पैरा 10	पर भरोसा करें
(1999) 1 एस. सी. सी 90	पैरा 11	पर भरोसा करें
(2009) 14 एससीसी 1	पैरा 12	पर भरोसा करें
(2017) 16 एससीसी 680	पैरा 13	पर भरोसा करें
(2018) 15 एससीसी 65	पैरा 14	पर भरोसा करें

(2001) 8 एससीसी 197	पैरा 5	पर भरोसा करें
[2021] 1 एस. सी. आर.	पैरा 6	पर भरोसा करें
(2010) 9 एससीसी 218	पैरा 16	पर भरोसा करें
[2019] 6 एससीआर 402	पैरा 20	पर भरोसा करें
(2017) 16 एससीसी 680	पैरा 20	पर भरोसा करें
(2020) 4 एस. सी. सी. 413	पैरा 20	पर भरोसा करें
(1994) 2 एससीसी 176	पैरा 20	पर भरोसा करें
(1996) 3 एस. सी. सी. 17	पैरा 21	पर भरोसा करें
(2009) 6 एससीसी 121	पैरा 25	पर भरोसा करें
(2018) 15 एस. सी. सी. 654	पैरा 25	पर भरोसा करें
(2019) 20 एस. सी. सी. 688	पैरा 25	पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 19–20/2021

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 17.07.2017 निर्णय और आदेश से

एम. ए. सी. में नई दिल्ली में दिल्ली। ऐप. नं. 336 2017 का और 2017 का 375।

मृत्युंजय कुमार सिन्हा, एस. एन. पारसर, रंजन कुमार पांडे,

उपस्थित दलों के लिए के. के. भट।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

अनुमति प्रदान की गई

2. ये दीवानी अपीलें, जिन पर वीडियो के माध्यम से सुनवाई की गई है

दो मृतक के तीन जीवित आश्रितों (जो दो नाबालिग बेटियाँ और पिता हैं) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय को चुनौती देते हुए, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("मोटर वाहन

अधिनियम") की धारा 168 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रोहिणी (इसके बाद, "न्यायाधिकरण") द्वारा दिए गए मोटर दुर्घटना मुआवजे को घटाकर 22 लाख रुपये कर दिया गया था, एक बैठक दायर की गई है।

3.मृतक दंपति, विनोद और पूनम, यात्रा के दौरान दिल्ली में सुबह लगभग 7 बजे आईडी1 पर एक मोटरसाइकिल को 'डीएल 7 सीए 1053' पंजीकरण वाली एक सैंट्रो कार ने एक चौराहे पर टक्कर मार दी। प्रभाव ने तुरंत दोनों मृतक को अक्षम कर दिया और वे जल्द ही कीर्ति और ए. एन. आर. को पार कर गए। क्रेनियो–सेरेब्रल डैमेज और दुर्घटना के ब्लंट–फोर्स ट्रॉमा के कारण होने वाले रक्तस्रावी सदमे से दूर।

4. चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद, "आई. पी. सी".) की धारा 279 और 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी (सिपाही विष्णु दत्त) का बयान दर्ज किया गया, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने और कार चालक की ओर से लापरवाही का सबूत था। इसके बाद, मृतक के दो बच्चों–बेटियों और बुजुर्ग–माता–पिता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की गई थी। इसका चालक और मालिक ने यह दावा करते हुए विरोध किया कि मृतक स्वयं लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे और दुर्घटना उनके अपने कार्यों का परिणाम थी। अपीलार्थी द्वारा दो गवाहों से पूछताछ की गई–दावेदार और प्रत्यर्थियों द्वारा कोई नहीं। बीमा कंपनी (प्रतिवादी संख्या 1) ने निपटान के रूप में मुआवजे की पेशकश की पूनम की मृत्यु के लिए 6 लाख 47 हजार रुपये और विनोद के लिए 1 लाख रुपये।

5. न्यायाधिकरण ने आपराधिक मामले में चालक के खिलाफ दायर आरोप पत्र और गवाह के बक्से में कदम रखने में उसकी विफलता पर भी ध्यान दिया। स्वतंत्र गवाह की मजबूत गवाही पर भरोसा करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कार–चालक वास्तव में जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा था और इसलिए प्रतिवादी–बीमाकर्ता पर दायित्व लगाया जाना चाहिए। मात्रा के बारे में

क्षतिपूर्ति के लिए, न्यायाधिकरण ने पूनम और विनोद की आयु क्रमशः 26 और 29 वर्ष निर्धारित करने के साथ शुरुआत की। नतीजतन, एक उम्र

व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती की गई थी। प्रत्येक मृतक को प्यार और स्नेह, संपत्ति और अंतिम संस्कार के खर्च के नुकसान के मुआवजे के रूप में 2.5 लाख रुपये दिए गए। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने दावेदारों को दोनों मृतकों के लिए कुल 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की। 6. इस गणना को प्रतिवादी–बीमाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि न्यायाधिकरण ने गलती की थी

दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर भरोसा किया क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृतक दिल्ली में कार्यरत थे। इसके बजाय, हरियाणा में उनके स्थापित निवास को देखते हुए, उस राज्य के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी निर्भरता के नुकसान की गणना का आधार होना चाहिए। साथ ही, भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने के साथ–साथ [2021] 1 एस. सी. आर. की गैर–कटौती। पूनम के लिए व्यक्तिगत खर्चों को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी। इसके अलावा,

अंशदायी लापरवाही के आधार पर मुआवजे को आधा करने की मांग की गई थी। गैर–स्थायी कर्मचारियों को 'भविष्य की संभावनाओं' के भुगतान के मुद्दे पर तत्कालीन अलग–अलग कानून पर प्रकाश डालते हुए एक स्पष्ट प्रस्तुतिकरण किया गया था, जिसका समाधान होने तक, यह प्रार्थना की गई थी कि दावेदारों को ऐसा कोई जोड़ नहीं दिया जाए।

7. उच्च न्यायालय ने इन दलीलों से सहमति व्यक्त की और परिणामस्वरूप दिल्ली के बजाय हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी को अपनाकर दोनों मृतकों के लिए काल्पनिक आय में कमी आई। इसी तरह, पूनम की आय का एक तिहाई हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा गया और दोनों मृतकों को भविष्य की संभावनाओं से वंचित कर दिया गया। हालाँकि, परिस्थितियों की समग्रता और अपने परिवार में पूनम के योगदान को देखते हुए, उनके वेतन में 25 प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क आय जोड़ी गई। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने दावेदारों को देय कुल मुआवजे को घटाकर 22 लाख रुपये कर दिया।

8. दावेदारों के विद्वान वकील ने हमारे सामने इस कमी का दावा किया है। संविधान पीठ के निर्णय के परिणामस्वरूप निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजे की पुनः गणना की मांग की जाती है। भविष्य की संभावनाओं का आधार। यह दावा किया जाता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय यह एक सहमति आदेश था, और कि अपीलार्थियों के वकील ने निर्भरता के नुकसान के शीर्ष के तहत एक कम गणना को स्वीकार किया था, जिसे इस प्रकार इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

10. हमने विरोधी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृत्यु के समय वास्तव में चार आश्रित थे मृतकों में से और तीन नहीं। मृतक की बाद में हुई मृत्यु आश्रित माँ को मोटर दुर्घटना मुआवजे में कमी का कारण नहीं होना चाहिए। दुर्घटना के समय ही दावे और कानूनी देनदारियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, और उसके बाद होने वाले परिवर्तनों से सामान्य रूप से लंबित कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अपीलकर्ता–दावेदार न्यूनतम मजदूरी में बाद की वृद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसी तरह प्रतिवादी–बीमाकर्ता भी कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी आश्रित की बाद में हुई मृत्यु का लाभ नहीं ले सकता है। इसी तरह, कानून में दी गई कोई भी रियायत इस संबंध में किसी भी वकील द्वारा पक्षकारों को बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह कानूनी रूप से तय किया गया है कि अधिवक्ता कानूनी अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं या कानून के विपरीत व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

11. न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी मुआवजा न्यायसंगत होना चाहिए, उचित और परिणामस्वरूप निस्संदेह निष्पक्षता, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। 3 मृतक के परिवार में न केवल बुजुर्ग माता–पिता थे, बल्कि दो छोटी बच्चियां भी थीं– लड़कियां, जिनकी उम्र केवल 3 और 4 वर्ष थी; जिनमें से प्रत्येक को असाधारण देखभाल और खर्च की आवश्यकता होती है जब तक कि वे स्वयं की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किए गए एक तिहाई के बजाय केवल एक चौथाई होना चाहिए, अधिक तब जब परिवार के चार सदस्य आश्रित थे। मृतक पर।

II. मासिक आय का आकलन

12. दूसरा, हालांकि यह सही है कि दावेदारों ने

विनोद की आय का प्रमाण देने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ, और न ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में उसकी नौकरी स्थापित की है; लेकिन यह उसकी आय की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाने को उचित नहीं ठहराता है। गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य–ऑन–रिकॉर्ड और दुर्घटना की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विनोद तुलनात्मक रूप से अधिक शैक्षिक रूप से योग्य और कुशल था। इसके अलावा, उन्होंने एक उनके परिवार के लिए उचित जीवन स्तर, जैसा कि उनके आने–जाने के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग से पता चलता है। मृतक के परिवार के जीवन स्तर को बनाए रखना मोटर दुर्घटना का एक मौलिक प्रयास है।

क्षतिपूर्ति कानून। 4 इस प्रकार, कम से कम, न्यूनतम मजदूरी रु।

2 प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बनाम। प्रमोद कुमार साहू, (2019) 10 एस. सी. सी. 674,11। 3 देखें, हेलेन सी रेबेलो बनाम। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, (1999) 1 एस. सी. सी. 90,28।

4 देखिए, आर. के. मलिक बनाम। किरण पाल, (2019) 14 एससीसी 1,19।

6197 जैसा कि हरियाणा राज्य में अप्रैल 2014 के दौरान कुशल श्रमिकों पर लागू होता है, उनके मामले में लागू किया जाना चाहिए।

III. भविष्य की संभावनाओं को जोड़ना

13. तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिवादी की ओर से अनुचित है

बीमाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उनके निवेदन पर विचार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के अनुदान को चुनौती देगा कि इस तरह के मुआवजे का भुगतान लंबित रहने तक नहीं किया जाना चाहिए

प्रणय सेठी (ऊपर) संदर्भ का परिणाम। फिर भी, इस बिंदु पर कानून अब एकीकृत नहीं है, और स्पष्ट है, जैसा कि पूर्व–उद्धृत संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है।

फैसला 3:

" 59.4 . यदि मृतक स्व–नियोजित था या किसी निश्चित नौकरी पर था

वेतन, स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त होना चाहिए। वारंट हो जहाँ मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी वर्षों से। 25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक के बीच था 40 से 50 वर्ष की आयु और 10 प्रतिशत जहाँ मृतक था गणना की आवश्यक विधि। स्थापित आय इसका अर्थ है आय घटाकर कर घटक "।

[जोर दिया गया]

14. यह देखते हुए कि कैसे दोनों मृतक 40 वर्ष से कम उम्र के थे और कैसे वे स्थायी कर्मचारी के रूप में स्थापित नहीं किए गए हैं, भविष्य की 40 प्रतिशत संभावनाओं का भुगतान किया जाना चाहिए। यह तर्क कि अनुमानित आय वाले लोगों के लिए भविष्य में ऐसी किसी भी संभावना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, दोनों ही हैं।

निरंतर मुद्रास्फीति को देखते हुए कानून में गलत और बिना योग्यता के मजदूरी में वृद्धि। हेम राज बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों को उद्धृत करना पर्याप्त होगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. Ltd.7, क्योंकि यह वर्तमान मामले में मृतक को भविष्य की संभावनाओं का भुगतान न करने के संबंध में किसी भी तर्क को विराम देता हैः

" 7. हमारा विचार है कि अंतर नहीं हो सकता है जहां आय का सकारात्मक प्रमाण है और जहां न्यूनतम है आय का निर्धारण तथ्यों में अनुमान लगाने पर किया जाता है और एक मामले की परिस्थितियाँ। दोनों स्थितियाँ समान हैं। तदनुसार, वर्तमान मामले में, 40 प्रतिशत का जोड़ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित आय की जानी आवश्यक है।

[जोर दिया गया]

5 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. प्रणय सेठी, (2017) 16 एस. सी. सी. 680,59.4। 6 सुनीता टोकस बनाम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1045। 7 (2018) 15 एससीसी 654

IV. अन्य शीर्ष और मुआवजे का विभाजन

15. अंत में, अन्य प्रमुखों पर तर्कों की कमी को देखते हुए अंत्येष्टि शुल्क, संपत्ति की हानि, प्रेम और स्नेह; परिवर्तन का कोई कारण नहीं बनता है। हम इसी तरह उच्च न्यायालय के गोद लेने के साथ कोई कमजोरी नहीं देखते हैं आयु-गुणक के रूप में 17 का निर्धारण, 9 प्रतिशत ब्याज का अधिनिर्णय, पूनम की अनुमानित आय की गणना या 1 के अनुपात में कुल मुआवजे का विभाजनः 2 : 2 दादा और दो लड़कियों के बीच। तैयार संदर्भ के लिए, ए उचित वृद्धि के बाद संशोधित मुआवजे की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार होगीः

16. ऊपर बताए गए कारणों से, अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार-अपीलार्थियों को दिए गए 22 लाख रुपये के कुल मोटर दुर्घटना मुआवजे में 2 लाख रुपये की वृद्धि की गई है और यह कुल 1 लाख रुपये हो गया है। बढ़ी हुई राशि मुआवजे का भुगतान विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट यानी 23.05.2014 दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा और न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

न्यायमूर्ति, एन. वी. रमना

1. मुझे तैयार किए गए निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है मेरे विद्वान भाई, सूर्यकांत, जे., और मैं [2021] 1 एस. सी. आर. से पूरी तरह सहमत हूँ। उसे। हालांकि, मैंने एक गृहिणी की काल्पनिक आय के सवाल के संबंध में उनके फैसले में तर्क को पूरक बनाने के बारे में सोचा और भविष्य की संभावनाएँ उसी पर लागू होनी चाहिए या नहीं।

2. स्थितियों की दो अलग-अलग श्रेणियां हैं जिनमें न्यायालय आमतौर पर पीड़ित की काल्पनिक आय निर्धारित करता है। पहली श्रेणी मामला उन मामलों से संबंधित है जिनमें पीड़ित को काम पर रखा गया था, लेकिन दावेदार अदालत के समक्ष अपनी वास्तविक आय साबित करने में सक्षम नहीं

हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर पीड़ित की आय का "अनुमान" लगाता है, जैसे कि पीड़ित और उसके परिवार द्वारा जीवन की गुणवत्ता, उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की सामान्य कमाई, पीड़ित की योग्यता और अन्य विचार।

4. अदालत अक्सर एक गैर–कमाई पीड़ित के प्रति मुआवजे का निर्धारण करने के लिए अलग–अलग सिद्धांतों का पालन करती है ताकि एक ऐसी राशि पर पहुंचा जा सके जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत हो। इनमें से कुछ में काल्पनिक आय का निर्धारण शामिल है। जब भी ऐसे मामलों में काल्पनिक आय निर्धारित की जाती है, तो विभिन्न विचारों और कारकों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों के लिए, न्यायालय अक्सर उस पाठ्यक्रम पर विचार करता है जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उनकी शैक्षणिक प्रवीणता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आदि, यह निर्धारित करने और तय करने के लिए कि वे भविष्य में क्या कमा सकते हैं। [एम. आर. कृष्ण मूर्ति बनाम देखें। न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325]

5. गैर–कमाने वाले पीड़ितों की एक श्रेणी जिनके लिए अदालतों को अक्सर मुआवजे की गणना करने के लिए कहा जाता है, वे गृहिणी हैं। अनुदान वर्तमान मामले की तरह, आर्थिक आधार पर गृहिणियों के लिए मुआवजे पर इस न्यायालय द्वारा पहले भी कई मौकों पर विचार किया जा चुका है। लता वाधवा बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। बिहार राज्य, (2001) 8 एस. सी. सी. 197 ने एक समारोह के दौरान आग के पीड़ितों के लिए मुआवजे से निपटने के दौरान, गृहिणियों को घर में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और उनकी उम्र के आधार पर मुआवजा प्रदान किया। उस मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 10. जहाँ तक मृत गृहिणियों का संबंध है, किसी भी जानकारी के अभाव में और गृहिणियाँ कोई आय अर्जित नहीं कर रही थीं, इसलिए कीर्ति और ए. एन. आर. का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है।

उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर मुआवजा घर तक। गृहिणियों के आयु वर्ग के आधार पर, उचित गुणक लागू किया गया है, लेकिन का अनुमान गृहिणियों द्वारा घर को दी जाने वाली सेवाओं का मूल्य, जो कुछ मामलों में 12,000 रुपये प्रति वर्ष और रु 10,000 दूसरों के लिए, हमें बहुत कम लगता है। यह सच है कि दावेदार, जिनके निर्धारण के लिए डेटा दिया जाना चाहिए था क्षतिपूर्ति, डेटा प्रदान करके किसी भी तरह से सहायता नहीं की ऐसी गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए। लेकिन इस तरह के आंकड़ों के अभाव में भी और द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं पर विचार करें पूरे परिवार का प्रबंधन करने के लिए गृहिणियां, यहां तक कि एक मामूली अनुमान, 3000 रुपये प्रति माह और रु 36,000 प्रति वर्ष. "99 (जोर दिया गया)

6. अरुण कुमार अग्रवाल बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड,0) 9 एस. सी. सी. 218, यह न्यायालय, के अनुदान पर विचार करते हुए मोटर वाहन के कारण एक गृहिणी की मृत्युअंत में, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः सच्चे प्यार और स्नेह के साथ पत्नी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ बच्चों और उनके पति को और घर का प्रबंधन करने के लिए

द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ मामलों की तुलना नहीं की जा सकती है एक पत्नी/माँ घड़ी-घड़ी काम नहीं करती हैं। वह इस में है पूरे दिन और रात परिवार की निरंतर उपस्थिति

जब तक कि वह कार्यरत न हो और उसे नियोक्ता की सेवा में उपस्थित होना आवश्यक न हो। विशेष घंटों के लिए काम करें। वह सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है।

कपड़े आदि। वह छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं और अमूल्य चीजें प्रदान करती हैं। उनके भावी जीवन के लिए उनका मार्गदर्शन करें। एक हाउसकीपर या नौकरानी

एक पत्नी/माँ का विकल्प जो उसकी निस्वार्थ सेवा करती है पति और बच्चे।

27. इसके बदले में किसी भी राशि की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है।

पत्नी/माँ द्वारा परिवार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं अर्थात [2021] 1 एस. सी. आर.

पति और बच्चे। हालांकि, पुरस्कार के उद्देश्य के लिए आश्रितों को मुआवजे का, कुछ आर्थिक गृहिणियों की सेवाओं का अनुमान लगाया जाना चाहिए / माँ। उस संदर्भ में, "सेवाएँ" शब्द की आवश्यकता है एक व्यापक अर्थ दिया गया है और इसे ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए मृतक द्वारा दी गई व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान की हानि एक माँ के रूप में उनके बच्चे और एक पत्नी के रूप में उनके पति। वे हैं। अनावश्यक हानि के बदले में पर्याप्त मुआवजे का हकदार है। मृतक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। देय राशि आश्रितों को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि कुछ करीब हैं एक दादी की तरह संबंध कुछ देने के लिए स्वेच्छा से हो सकता है परिवार को वह सेवाएँ जो मृतक पहले दे रहा था।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्णय का इस न्यायालय ने अपने आदेश में पालन किया है। राजेंद्र सिंह बनाम में हालिया निर्णय। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 521, जिसमें एक मृत गृहिणी की अनुमानित आय की गणना मुआवजे देने के उद्देश्यों के लिए की गई थी।

मोटर दुर्घटना का मामला।

7. इस विषय पर आगे चर्चा करने से पहले, टिप्पणी करना आवश्यक है। अपनी लैंगिक प्रकृति पर। भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 51 लाख महिलाओं ने कहा कि केवल 57.9 लाख पुरुषों की तुलना में "घरेलू काम" उनका मुख्य व्यवसाय था।

8. वास्तव में, राष्ट्रीय सांख्यिकी की हाल ही में जारी रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यालय, भारत सरकार जिसे "भारत में समय का उपयोग-2019" कहा जाता है, जो देश में पहली बार उपयोग सर्वेक्षण है और जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए 1,38,799 परिवारों से जानकारी एकत्र करता है, समान लिंग असमानता को दर्शाता है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष बताते हैं कि औसतन, महिलाएं घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर एक दिन में लगभग 299 मिनट खर्च करती हैं, जबकि महिलाओं द्वारा 97 मिनट खर्च किए जाते हैं।

पुरुषों का औसत। 2 इसी तरह, एक दिन में, महिलाएं घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाओं पर औसतन 134 मिनट खर्च करती हैं।

पुरुषों द्वारा औसतन 76 मिनट बिताए गए। 3 प्रति दिन इन गतिविधियों पर खर्च किया गया कुल समय भारत में तस्वीर को और भी स्पष्ट करता है–महिलाएं औसतन अपने दिन का 16.9 और 2.6 प्रतिशत अवैतनिक घरेलू कार्यों में बिताती हैं।

1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत में समय का उपयोग–2019 (सितंबर, 2020)। 2 आईडी, 56 पर।

घर के सदस्यों के लिए क्रमशः सेवाएँ और अवैतनिक देखभाल सेवाएँ, जबकि पुरुषों ने 1.7 और 0.8 प्रतिशत खर्च किया। 4

9. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह केवल एक अनूठी घटना नहीं है

भारत, लेकिन पूरी दुनिया में प्रचलित है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा गठित एक आयोग द्वारा 2009 की एक रिपोर्ट, जिसमें छह देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका ने इसी तरह के निष्कर्षों पर प्रकाश डालाः

" 117. समय के उपयोग में लिंग अंतर महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक में

पुरुष भी महिलाओं की तुलना में अवकाश पर अधिक समय बिताते हैं। द. निहितार्थ यह है कि महिलाएं घरेलू सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन

घर के अन्य सदस्यों को लाभ। "995

(जोर दिया गया)

10. समय और प्रयास की सरासर मात्रा जो समर्पित है उन व्यक्तियों द्वारा घरेलू काम, जिनके पुरुषों की तुलना में महिलाओं के होने की अधिक संभावना है, आश्चर्य की बात नहीं है जब कोई एक गृहिणी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर विचार करता है। एक गृहिणी अक्सर पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करती है, किराने का सामान और अन्य घरों की खरीद का प्रबंधन करती है। खरीदारी की जरूरतों, घर और उसके आसपास की सफाई और प्रबंधन करता है, सजावट, मरम्मत और रखरखाव का काम करता है, बच्चों और घर के किसी भी वृद्ध सदस्य की जरूरतों की देखभाल करता है, प्रबंधन करता है। बजट और बहुत कुछ। ग्रामीण घरों में, वे अक्सर मवेशियों की देखभाल के अलावा खेत में बुवाई, कटाई और प्रत्यारोपण गतिविधियों में भी सहायता करते हैं [अरुण कुमार अग्रवाल (ऊपर देखें); राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. नाबालिग दीपिका प्रतिनिधि। उनके अभिभावक और अगले दोस्त, रंगनाथन, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 828]। हालांकि, सभी के बावजूद उपरोक्त, यह धारणा कि घर बनाने वाले "काम" नहीं करते हैं या वे घर में आर्थिक मूल्य नहीं जोड़ते हैं, एक समस्याग्रस्त विचार है जो कई वर्षों से बना हुआ है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

11. अरुण कुमार अग्रवाल के फैसले में सहमति वाली राय (ऊपर), ने इस पूर्वाग्रह पर प्रकाश डाला हैः

" 44. जनगणना के काम में यह पूर्वाग्रह आश्चर्यजनक रूप से प्रचलित है। में। 2001 की जनगणना से ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग घर का काम कर रहे हैं 4 आईडी, एक्स पर। 5 स्टिग्लिट्ज़ एट अल। , आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रगति के मापन पर आयोग की रिपोर्ट, 117 (2009)।

खाना पकाने, बर्तनों की सफाई, बच्चों की देखभाल, पानी लाने, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने जैसे कर्तव्यों को गैर–श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भिखारियों, वेश्याओं और कैदियों के साथ तुलना की गई है, जो जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। उत्पादक कार्य। इस तरह के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप भारत में लगभग 36 करोड़ (36.7 करोड़) महिलाओं को भारत की जनगणना, 2001 में गैर–श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें भिखारियों, वेश्याओं और कैदियों की श्रेणी में रखा गया है। जनगणना की यह पूरी कवायद संचालन संसद के एक अधिनियम के तहत किया जाता है।

12. वास्तव में, जब घर के काम के मूल्य की बात आती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण खामोशी एक ऐसी समस्या रही है जिसकी पहचान बहुत पहले से की गई थी। 1920 , जब अर्थशास्त्री पिगोउ ने राष्ट्रीय आय में महिलाओं के योगदान की गणना की बात आती है तो विषमता और विरोधाभासों का उल्लेख करते हुए कहा किः

" ..... महिलाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं लाभांश में तब प्रवेश करती हैं जब उन्हें मजदूरी के बदले में प्रदान किया जाता है, चाहे वह कारखाने में हो या घर में, लेकिन जब माताओं और पत्नियों द्वारा उन्हें अपने परिवारों को मुफ्त में प्रदान किया जाता है तो वे इसमें प्रवेश नहीं करती हैं। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अपने हाउसकीपर या अपने रसोइये से शादी करता है, तो राष्ट्रीय लाभांश कम हो जाता है। इस मुद्दे पर आगे 1970 और 1980 के दशक में नारीवाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन लोगों द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्होंने पारंपरिक श्रम की आलोचना की थी।

आंकड़े जो अवैतनिक घरेलू काम पर विचार नहीं करते थे और इसलिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को कम महत्व देते थे। 7

13. इस मुद्दे के बारे में बढ़ती जागरूकता पर विचार करने पर, भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति

महिलाओं ने 1991 में "महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों के मापन और मात्रा निर्धारण और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनकी मान्यता" पर सामान्य अनुशंसा संख्या 17 को अपनाया। सामान्य अनुशंसा ने पुष्टि की कि "महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों का मापन और मात्रा निर्धारण, जो प्रत्येक देश में विकास में योगदान करते हैं, उन्हें प्रकट करने में मदद करेगा।

महिलाओं की वास्तविक आर्थिक भूमिका "।

14. यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त सामान्य अनुशंसा उन्मूलन पर समझौते के अनुच्छेद 11 को आगे बढ़ाने के लिए पारित की गई है।

सेसिल पिगोउ, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, 44 (1920)।

1 यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, अवैतनिक घरेलू सेवा कार्य के मूल्यांकन पर गाइड, 2 (2017)।

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव जो रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित है, भारत ने एक समझौते की पुष्टि की है।

15. इसलिए, एक गृहिणी के लिए अनुमानित आय निर्धारित करने का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। यह भीड़ की मान्यता है।

ऐसी महिलाएँ जो इस गतिविधि में लगी हुई हैं, चाहे वे अपनी पसंद से हों या सामाजिक/सांस्कृतिक मानदंडों के परिणामस्वरूप। यह बड़े पैमाने पर समाज को संकेत देता है कि देश का कानून और अदालतें गृहिणियों के श्रम, सेवाओं और बलिदान के मूल्य में विश्वास करती हैं। यह इस विचार की स्वीकृति है कि ये गतिविधियाँ परिवार की आर्थिक स्थिति और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत वास्तविक रूप से योगदान देती हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इसे पारंपरिक रूप से आर्थिक विश्लेषण से बाहर रखा गया है। यह बदलते दृष्टिकोण और मानसिकता और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों का प्रतिबिंब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संवैधानिक दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। सामाजिक समानता और सभी व्यक्तियों के लिए जीवन की गरिमा सुनिश्चित करना।

16. इस सवाल पर लौटते हुए कि एक गृहिणी की ऐसी काल्पनिक आय की गणना कैसे की जानी चाहिए, कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। यह समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा एक गृहिणी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए एक अनुमानित आर्थिक मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है, हालांकि वह कार्य असंभव हो सकता है। अदालतों को इस विचार को ध्यान में रखना चाहिए

तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे मामलों में न्यायसंगत मुआवजा देने के लिए [आर. के. मलिक बनाम देखें। किरण पाल, (2009) 14 एससीसी 1]। 17. एक गृहिणी की काल्पनिक आय की गणना करने का एक तरीका मोटर की दूसरी अनुसूची में दिए गए सूत्र का उपयोग करना है।

वाहन अधिनियम, 1988, जिसे अब मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा हटा दिया गया है। दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया था कि जीवनसाथी की आय की गणना कमाने वाले जीवित जीवनसाथी की आय के एक तिहाई के रूप में की जा सकती है। अरुण कुमार अग्रवाल (ऊपर) मामले में अदालत ने अंततः यही तरीका अपनाया। हालांकि, इसके पीछे तर्क है अनुपात को एक–तिहाई के रूप में तय करना बहुत स्पष्ट नहीं है। [अरुण कुमार अग्रवाल (ऊपर) देखें]

18. उपरोक्त के अलावा, इस मुद्दे के बारे में छात्रवृत्ति धारणा को निर्धारित करने के लिए अन्य तरीकों के रूप में कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।

गृहिणी के लिए आय। 8 इनमें से कुछ विधियों पर प्रकाश डाला गया था

8 एन चादेउ, घरेलू गैर–बाजार उत्पादन मूल्य क्या है, ओइसीडी आर्थिक अध्ययन संख्या 18 (1992) देखें; यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, उपर्युक्त टिप्पणी 7 भी देखें।

नाबालिग दीपिका (उपरोक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 10. मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि जिनके पास नहीं था, उनके संबंध में देय मुआवजे का मूल्य एक गृहिणी के अवैतनिक श्रम के मूल्य को समझने का प्रयास विभिन्न तरीकों से। एक है, अवसर लागत जो उसके वेतन का मूल्यांकन यह आकलन करके करता है कि उसके पास क्या होगा गृहिणी को वेतन पाने वाले श्रमिकों से बदल दें। यह कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि "।

(जोर दिया गया)

19. हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि उपरोक्त सभी विधियाँ ये केवल सुझाव हैं। ऐसी कोई सटीक गणना या सूत्र नहीं हो सकता है जो जादूई रूप से किसी व्यक्ति द्वारा उन लोगों के लिए प्रदान किए गए वास्तविक मूल्य का पता लगा सके जो उनके निकट और प्रिय हैं। अतः ऐसे मामलों में न्यायालय का प्रयास, सर्वोत्तम संभव तरीके से, मौद्रिक क्षतिपूर्ति देने के उद्देश्य से एक गृहिणी द्वारा जोड़े गए मूल्य का सही अनुमान निर्धारित करने की दिशा में होना चाहिए।

20. जो भी तरीका एक अदालत अंततः महत्व देने के लिए चुनती है एक गृहिणी की गतिविधियाँ अंततः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। न्यायालय को न्यायसंगत मुआवजा देने के अपने कर्तव्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, न तो उसी रूढ़िवादी रूप से मूल्यांकन करना, और न ही इतनी उदारता से कि इसे दावेदारों के लिए एक इनाम बनाना [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड v. प्रणय सेठी (2017) 16 एस. सी. सी. 680; काजल बनाम। जगदीश चंद, (2020) 4 एससीसी 413]।

21. एक बार जब काल्पनिक आय निर्धारित हो जाती है, तो सवाल यह होता है कि

भविष्य की संभावनाओं के लिए वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं इसके संबंध में। प्रारंभ में, इस न्यायालय द्वारा भविष्य की संभावनाओं का पुरस्कार पीड़ित द्वारा आयोजित नौकरी की स्थिरता से संबंधित था [जनरल कीर्ति और ए. एन. आर. देखें। प्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम। सुसम्मा थॉमस (श्रीमती), (1994) 2 एस. सी. सी. 176; सरला दीक्षित (श्रीमती) बनाम। बलवंत यादव, (1996) 3 एस. सी. सी. 17]। भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करते हुए पीड़ित की नौकरी की स्थिरता पर यह ध्यान सरला वर्मा (श्रीमती) बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले में जारी रखा गया था। दिल्ली परिवहन निगम, (2009) 6 एस. सी. सी. 121 जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 24. सुसम्मा थॉमस [(1994) 2 एस. सी. सी. 176] में यह न्यायालय सरला दीक्षित में आय में लगभग 100% की वृद्धि हुई [(1996) 3 एस. सी. सी. 17 9] आय में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अबाती में बेजबरूआ [(2003) 3 एस. सी. सी. 148] आय में वृद्धि हुई थी केवल 7 प्रतिशत। अभेद्य और अनिश्चितताओं को देखते हुए, हम अंगूठे के नियम के रूप में अपनाने के पक्ष में, 50 प्रतिशत की वृद्धि मृतक की वास्तविक वेतन आय के लिए वास्तविक वेतन स्थायी नौकरी और 40 वर्ष से कम आयु का था। (जहाँ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, शब्द "वास्तविक वेतन" होना चाहिए

"वास्तविक वेतन कम कर" के रूप में पढ़ा जाए)। जोड़ केवल होना चाहिए 30 % यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष थी। वहाँ होना चाहिए। जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, वहां कोई जोड़ नहीं होगा। वर्षों से। यद्यपि साक्ष्य एक अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं। वृद्धि, इससे बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है विभिन्न मापदंडों को लागू किया जा रहा है या विभिन्न विधियाँ गणना को अपनाया जा रहा है। जहाँ मृतक स्वयं था नियोजित या एक निश्चित वेतन पर था (बिना किसी प्रावधान के) वार्षिक वृद्धि, आदि), अदालतें आमतौर पर केवल लेती हैं। मृत्यु के समय वास्तविक आय। एक प्रस्थान वहाँ से केवल दुर्लभ और असाधारण में बनाया जाना चाहिए विशेष परिस्थितियों वाले मामले।

(जोर दिया गया)

22. हालांकि, भविष्य के संबंध में न्यायशास्त्र में बदलाव आया था सेठी (ऊपर)। इस न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के संबंध में लाभ स्व-नियोजित व्यक्तियों या एक निश्चित वेतन पर रहने वालों को भी दिया। अदालत ने निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 57. अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, हम शांत हो जाते हैं सोचने के लिए जब हम मानकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो उक्त सिद्धांत को [2021] 1 एस. सी. आर. पर लागू न करने का वास्तव में कोई तर्क नहीं है। स्व-नियोजित या एक निश्चित वेतन पर रहने वाला व्यक्ति। पालन करने के लिए मृत्यु के समय वास्तविक आय का सिद्धांत और नहीं भविष्य की संभावनाओं के संबंध में किसी भी राशि को जोड़ना गुणक राशि के निर्धारण के उद्देश्य से आय क्षतिपूर्ति की गणना में भविष्य की संभावनाएं शामिल होनी चाहिए। ताकि विधि के दायरे और विस्तार के भीतर आ जाएगी धारा 168 के तहत न्यायसंगत मुआवजा एक्ट करें। एक मृतक के मामले में जिसने स्थायी नौकरी की थी लेकिन यह बताने के लिए कि एक मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जो थे एक निश्चित वेतन पर भविष्य के लाभ का हकदार नहीं होगा। मुआवजे की गणना के उद्देश्य के लिए संभावनाएँ असंगत रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच अंतर का मानदंड दूसरी ओर स्थिरता। कोई यह समझ सकता है कि तुलनात्मक उपाय एक ओर निश्चितता है और दूसरी ओर अनिश्चितता है। लेकिन इस तरह की धारणा गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमतों में वृद्धि हुई है। यह एक स्व-नियोजित व्यक्ति को प्रभावित करता है और इसके अलावा अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करना। निर्वाह। वेतनभोगी व्यक्ति की क्रय क्षमता स्थायी नौकरी पर जब अनुदान के कारण वृद्धि होती है वेतन वृद्धि और वेतन संशोधन या किसी अन्य परिवर्तन के लिए सेवा शर्तों में, हमेशा एक प्रतिस्पर्धी रवैया होता है निजी क्षेत्र बेहतर होने के लिए वेतन बढ़ाने के लिए स्व-नियोजित

अपने संसाधनों को इकट्ठा करने और जुटाने के लिए बाध्य है उसके शुल्क/शुल्क ताकि वह उसी के साथ रह सके सुविधाएं। संचयी कारकों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, समय के साथ, बदलते समाज, वृद्धि मूल्य, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन, के प्रति मानवीय दृष्टिकोण भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की स्थापित आय और जहां मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था, वहां 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहाँ मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होगी। तर्कसंगत बनें। "

(जोर दिया गया)

23. भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने के पीछे का तर्क है अब केवल पेशे के प्रकार के बारे में नहीं, चाहे वह कीर्ति और ए. एन. आर हो। उसी पर निर्भर। भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करना अब न्यायालय के कर्तव्य का एक हिस्सा है कि वह जीवन की वास्तविकताओं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति, अपनी और अपने प्रियजनों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तियों की खोज, बढ़ती मजदूरी को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा प्रदान करे। दरें और कार्य की गुणवत्ता पर अनुभव का प्रभाव।

24. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, पहले मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुमानित आय के संबंध में स्थिति काफी स्पष्ट है। पहले उल्लिखित मामलों की श्रेणी, जहाँ पीड़ित साबित होता है नियोजित लेकिन दावेदार न्यायालय के समक्ष आय साबित करने में असमर्थ हैं। एक बार जब पीड़ित किसी उद्यम में कार्यरत साबित हो जाता है, तो आवश्यक परिणाम यह होता है कि वे आय अर्जित कर रहे होंगे। यह स्पष्ट है कि अनुदान के संबंध में कोई तर्कसंगत अंतर नहीं किया जा सकता है भविष्य की संभावनाएँ केवल इस आधार पर कि उनकी आय साबित नहीं हुई थी, विशेष रूप से जब न्यायालय ने उनकी काल्पनिक आय निर्धारित की है।

25. जब मामलों की दूसरी श्रेणी की बात आती है, तो गैर–कमाने वाले पीड़ितों के लिए अनुमानित आय, यह मेरी राय है कि उपरोक्त सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, विशेष रूप से गृहिणियों के संबंध में। एक बार काल्पनिक आय निर्धारित हो जाने के बाद, मुद्रास्फीति के प्रभाव समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा, कोई भी कभी यह नहीं कहेगा कि अनुभव के साथ आने वाले कौशल में सुधार घर के भीतर काम के क्षेत्र में नहीं होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि, हालांकि व्यापक रूप से चर्चा नहीं की गई है, यह न्यायालय मामलों में भी भविष्य की संभावनाएं प्रदान करता रहा है काल्पनिक आय से संबंधित, जैसा कि मेरे विद्वान भाई, सूर्यकांत, जे., ने अपनी राय में उजागर किया है [हेम राज बनाम। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2018) 15 एससीसी 654; सुनीता टोकस बनाम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2019) 20 एस. सी. सी. 688]।

26. इसलिए, उपरोक्त के आधार पर, कुछ सामान्य गृहिणियों के लिए काल्पनिक आय की गणना और भविष्य की संभावनाओं के अनुदान के संबंध में अवलोकन किए जा सकते हैं। उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, जिसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

आर्थिक आधार पर, सम्मान के साथ क्षतिपूर्ति का अनुदानएक गृहिणी के लिए, कानून का एक तय प्रस्ताव है। गृहकार्य की लैंगिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक भारी प्रतिशत उसी में लगा हुआ है, अनुमानित आय का निर्धारण गृहिणी का विशेष महत्व होता

है। यह बन जाता है कार्य, श्रम और बलिदान की मान्यता गृहिणी और बदलते दृष्टिकोण का प्रतिबिंब। यह है। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाने के लिए भी दायित्व और सामाजिक समानता और सभी के लिए गरिमा सुनिश्चित करने की हमारी संवैधानिक दृष्टि। तथ्यों के आधार पर एक गृहिणी की अनुमानित आय निर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। और मामले की परिस्थितियाँ। विधि चुनते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए, और काल्पनिक आय का निर्धारण करना, कि यह केवल विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में है, न ही आकलन करना क्षतिपूर्ति बहुत रूढ़िवादी रूप से, न ही बहुत उदारता से। ऐसे मामलों में गणना की गई अनुमानित आय पर भविष्य की संभावनाओं का अनुदान न्याय का एक घटक है। क्षतिपूर्ति।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, मैं अपनी राय से सहमत हूँ

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।